समाधान योजना में सम्मिलित होने के लिये प्रार्थना पत्र :-

प्रारुप-1

वर्ष 2015-2016 में दिनांक 01-10-2015 से दिनांक 30-09-2016 तक की अवधि हेतु उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-6 के अन्तर्गत ईंट निर्माता व्यापारियों द्वारा निर्मित ईंटो, ईंट भट्ठो में निर्मित टाइल्स, ईंट के रोडों तथा राबिस की बिक्री और ईंटों के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर विधि के अधीन देय मूल्य संवर्धित कर / प्रवेश कर के विकल्प में एकमुश्त धनराशि दिये जाने सम्बन्धित समाधान प्रार्थना पत्र ।

सेवा में,

डिप्टी / असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर,

खण्ड ----------

मंडल / उपमंडल ----------जनपद ----------

महोदय,

मै, फर्म सर्वश्री ----------

जिसका मुख्यालय ----------पर स्थित है तथा जिसे उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 की धारा-17 में खण्ड/ मंडल / उपमण्डल कार्यालय

----------द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या (टिन) ----------

--दिनांक ---------- से प्रभावी जारी किया गया अथवा जिसे उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्राप्त करने के लिए पंजीयन प्राधिकारी / डिप्टी / असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड / मंडल/ उपमण्डल ---------- के कार्यालय में रसीद संख्या ---------- दिनांक ---------- से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, का स्वामी / साझीदार ---------- हूँ । मैने ईंट निर्माताओं द्वारा अपने भट्ठे में निर्मित ईंटों, भट्ठों में निर्मित टाइल्स, ईंट के रोड़ों तथा राबिस की दिनांक 01-10-2015 से 30-09-2016 तक की अवधि में की गई बिक्री पर तथा उक्त ईंटों के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर विधि के अधीन देय मूल्य संवर्धित कर / प्रवेश कर के विकल्प में धारा-6 में एक मुश्त राशि स्वीकार करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देशों को स्वयं पढ़ लिया है अथवा पूर्ण रुप से सुन लिया है और भली भाँति समझ लिया है । शासन के इन निर्देशों की सभी शर्तें मुझे मान्य है । उन्हीं के अधीन मैं यह प्रार्थना पत्र, उक्त फर्म की ओर से प्रस्तुत कर रहा हूँ ।

मै उक्त फर्म द्वारा ईंटों, ईंट भट्ठों में निर्मित टाइल्स, ईंट के रोड़ों तथा राबिस की सीजन वर्ष 2015-2016 में दिनांक 01-10-2015 से 30-09-2016 तक में हुई बिक्री तथा इसी अवधि में ईंटों के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर विधि के अधीन देय मूल्य संवर्धित कर / प्रवेश कर के विकल्प में एक मुश्त धनराशि दिये जाने सम्बन्धी उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन समाधान हेतु पूरे सीजन वर्ष 2015-2016 (दिनांक 01-10-2015 से 30-09-2016) के लिए --------- पाया के भट्ठे के लिए मूल्य सम्वर्धित कर की समाधान राशि रुपये --------- एवं प्रवेश कर की समाधान राशि रुपये ---------- अर्थात् पूरे सीजन वर्ष के लिए कुल देय समाधान राशि रुपये ---------- की एक मुश्त धनराशि संलग्न शपथ पत्र /

अनुबन्ध पत्र के अनुसार स्वीकार किये जाने का निवेदन करता हूँ । पूरे सृजन वर्ष के लिये उपरोक्तानुसार कुल देय समाधान राशि में से समाधान प्रार्थना पत्र के साथ मूल्य संवर्धित कर की समाधान शुल्क रुपया ---------- एवं कोयले पर देय प्रवेश कर की समाधान राशि रुपया---------- - अर्थात् कुल समाधान राशि रुपये ---------- मैने चालान संख्या ---------- दिनांक ---------- ------- द्वारा ---------- (बैंक / शाखा का नाम) में जमा कर दिया है, जिसकी प्रति इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है ।

दिनांक 01-10-2015 को मेरे यहाँ स्टाक निम्नवत् था:-

क्रम संख्या	मद	संख्या/ मात्रा	स्थान जहाँ स्टाक है
01	पक्की ईंटे		
02	ईंटों के रोड़े		
03	भट्टो में निर्मित टाइल्स		
04	राबिस		
05	कोयला		
06	लकड़ी		
07	बालू		
08	लकड़ी का बुरादा		

संलग्नक:- यथोपरि

दिनांक ----------

हस्ताक्षर----------

पूरा पता----------

प्रास्थिति----------

फर्म का नाम व पता ----------

प्रमाणीकरण

मैं इस प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रुप से जानता हूँ । यह फर्म - ---------- के स्वामी / साझीदार ---------- है तथा इस प्रार्थना पत्र पर इन्होने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये है ।

प्रमाणीकरण करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर----------

पूरा नाम----------

पूरा पता----------

समाधान योजना में सम्मिलित होने के लिये शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र :-

प्रारुप-2

समक्ष डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर,

खण्ड ----------

मंडल / उपमंडल ---------- जनपद ----------

मै ----------पुत्र श्री ---------- आयु लगभग ------- वर्ष स्थायी निवासी----------(पूरा पता) शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि :-

1- मै, फर्म स्वामी सर्वश्री ---------- जिसका मुख्यालय ---------- (पूरा पता) पर स्थित है, का स्वामी / साझीदार ---------- (प्रास्थिति) हूँ तथा यह शपथ पत्र अपनी उपरोक्त फर्म की ओर से दे रहा हूँ।

2- मेरी फर्म के मुख्यालय तथा शाखाओं के विवरण निम्नवत् है :-

क्रमांक	पूरा पता	वस्तुएं जिनका निर्माण या व्यापार होता है	निर्मित वस्तुओं के साथ सह उत्पादो का विवरण
01	मुख्यालय		
02	शाखाएं (अ) (ब) (स)		

3- वर्ष 2015-2016 में दिनांक 01-10-2015 से 30-09-2016 तक की अवधि हेतु उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत ईंट निर्माता व्यापारियों द्वारा निर्मित ईंटो, ईंट भट्ठो मे निर्मित टाइल्स, ईंट के रोड़ो तथा राबिस की बिक्री और ईंटो के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर विधि के अधीन देय मूल्य संवर्धित कर / प्रवेश कर के विकल्प मे एकमुश्त धनराशि दिये जाने सम्बन्धित समाधान योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासन के निर्देशों एवं उसमें अंकित सभी शर्तो तथा कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा दिये गये आदेशो एवं प्रतिबन्धों की पूरी पूरी एवं सही जानकारी मुझे तथा मेरी फर्म में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों को हो चुकी है तथा सभी निर्देश, शर्ते तथा प्रतिबन्ध मुझे तथा मेरी फर्म में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों को मान्य है और सदा रहेंगे।

4- मेरी उक्त फर्म के अपने निजी एवं लीज पर निम्नलिखित ईंट भट्ठे सीजन वर्ष 2015-2016 मे 01-10-2015 से 30-09-2016 की अवधि में है :-

भट्ठा का संख्या	भट्ठे की प्रकृति (नॉन हाईड्राट/ हाईड्राट)	जितना पाथ का भट्ठा है	एक समय में कितने स्थानो पर फुकाई होती है	प्रत्येक भट्ठे के लिए प्रस्तावित पूरे सीजन वर्ष के लिए एकमुश्त कुल समाधान राशि			
				मूल्य सम्वर्धित कर समाधान राशि	प्रवेश कर समाधान राशि	ब्याज, यदि देय व जमा हो	कुल योग (स्तम्भ 5 + 6)
1	2	3	4	5	6	7	8

सभी भट्ठों के लिए पूरे सीजन वर्ष हेतु कुल समाधान राशि का योग रुपया ----------

5- प्रस्तर 4 में अंकित भट्ठो तथा प्रस्तर-4 की तालिका के स्तम्भ-8 में अंकित धनराशि का कुल योग रुपया----------होता है, जो मेरी / हमारी फर्म द्वारा पूरे सीजन वर्ष के लिए देय है। पूरे सीजन वर्ष के लिए देय उपरोक्तानुसार कुल समाधान राशि रुपये ---------- मे से प्रथम किश्त के रुप में देय रुपये ---------- का चालान समाधान प्रार्थना पत्र / शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र के साथ संलग्न है।

6- यदि वर्ष 2015-2016 में दिनांक 01-10-2015 से 30-09-2016 तक की अवधि हेतु धारा-6 में मेरा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तब मेरी फर्म इस शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र के साथ अनुलग्नक प्रारुप-I में दी गयी शर्तो का अनुपालन करने, शासन द्वारा दिये गये निर्देशों तथा कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा लगायी गयी शर्तो / प्रतिबन्धों में दिये गये आदेशो का पालन करने तथा अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए बाध्य होगी। शासनादेश / परिपत्र में दिये गये निर्देशों और निर्धारित शर्तो का अनुपालन न किये जाने की दशा में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार तथा वाणिज्य कर विभाग, नियमानुसार कार्यवाहियां मेरी फर्म के विरुद्ध कर सकेगा।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

हस्ताक्षर ----------

पूरा पता ----------

प्रास्थिति ----------

फर्म का नाम व पता ----------

घोषणा

मै ---------- घोषणा करता हूँ कि शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र के प्रस्तर (1) से (7) में अंकित विवरण मेरी जानकारी और विश्वास में पूर्ण तथा सत्य है और कोई तथ्य छिपाया नही गया है। यह भी घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र / अनुबन्ध तथा इसके संलग्नक में निर्धारित प्रतिबन्धों, शर्तो और निर्देशों से मै तथा मेरी फर्म में हितबद्ध अन्य सभी व्यक्ति आबद्ध रहेंगे।

साक्षी के हस्ताक्षर ----------

नाम एवं पता ----------

तिथि एवं स्थान ----------

हस्ताक्षर ----------

पूरा पता ----------

प्रास्थिति ----------

फर्म का नाम व पता ----------